

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त सुनील कुमार सिंह पुत्र ध्रुव कुमार सिंह नि० झामसिंह का पुरवा मजरे भुसहरी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी द्वारा दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने की तहरीर पर मु०अ०सं० 304/2020 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना संग्रामपुर पर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप मा० न्यायालय एएसजे-12 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

सजा का विवरण:-

- ☐ अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास।
- ☐ अभियुक्त को 25,00 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड ना अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:

- ❖ सुनील कुमार सिंह पुत्र ध्रुव कुमार सिंह नि० झामसिंह का पुरवा मजरे भुसहरी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।



एडीजीसी श्री
छोटेराल द्विवेदी



पैरोकार हे०का०
विनोद कुमार पाण्डेय



@amethipolice



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल अमेठी



#Amethipolice



Amethipolice